"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 128] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 फरवरी 2021 — माघ 28, शक 1942

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 फरवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-32/2017/इसूप्रौ/56 (पार्ट). — राज्य शासन द्वारा क्रमांक एफ - 4-12/56/2017/इ. सू. प्रौ. दिनांक 31-08-2017 से अधिसूचित संचार क्रांति योजना के तारतम्य में निम्नानुसार कंडिकाएं अधिसूचित की जाती है :-

1. वितरण से शेष रहे मोबाईल लौटाने पर निर्णय :-

1.1 प्रथम चरण में वितरण से शेष रहे 7, 51, 011 मोबाईल सेट अब वितरित नहीं किये जाए. यह मोबाईल सेट आपूर्तिकर्ता फर्म के आधिपत्य में है, उन्हें आपसी सहमति से लौटाया जाए.

1.2 इस विषय में विधिक प्रावधान के अनुसार योजना के निविदा प्रपत्र (RFP) की कंडिका 12.2 में विहित शर्त के अनुसार कुल निविदा संख्या का 60 % मोबाईल क्रय करना आवश्यक है. इस शर्त पर छूट देने की आपूर्तिकर्ता फर्म से सहमति प्राप्त कर मोबाईल लौटाये जाए.

2. नेटवर्क विस्तार पर निर्णय :-

2.1 अब तक नेटवर्क विस्तार में यदि कोई ग्राम योजना के मापदंडो एवं दी गई टॉवर संख्या के अनुरूप स्थापित नहीं किया गया है तो संबंधित कंपनी से निविदा की कंडिका अनुलग्न -XXI के अनुसार अर्थदंड वसूल किया जाए. यह अर्थदंड प्रत्येक अस्थापित टॉवर पर 0.025 % की दर से हजार स्मार्टफोन की राशि प्रति सप्ताह लगाया जाए.

2.2 प्रथम चरण के बचे हुए गांव को कवरेज प्रदान करने हेतु अनुबंधकर्ता द्वारा शेष टॉवर्स लगाए जाए.

2.3 द्वितीय चरण के बचे हुए गांव को कवरेज प्रदान करने हेतु टॉवर्स भी मूल अनुबंध के अनुसार अनुबंधकर्ता द्वारा लगाया जाए.

2.4 द्वितीय चरण में लगाये जाने वाले टॉवरों की स्थापना हेतु जो भी सुविधायें निविदा एवं अनुबंध में दर्शायी गई है, वो सभी सुविधायें अनुबंधकर्ता को प्रदाय की जाए.

2.5 योजनांतर्गत पूर्व सहमत एवं पूर्व प्रदत्त टॉवरों की सूची के अतिरिक्त लगाये जाने वाले किसी भी टॉवर के लिये शासन द्वारा अनुबंध में मान्य सुविधायें नहीं दी जाए. ऐसी स्थिति होने पर संबंधित स्थानीय निकायों व शासकीय संस्थाऐं नियमानुसार व प्रावधानों के अनुरूप उपयुक्त कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होंगे.

3. मोबाईल एप के संबंध में निर्णय :-

3.1 योजना अंतर्गत गठित मोबाईल एप समिति द्वारा बांटे गये एप के उपयोग पर समीक्षा की जाकर अनुपयोगी एप केन्द्रीकृत रूप से अन-इनस्टॉल किये जाए.

3.2 समिति द्वारा राज्य के लिए नये उपयोगी एप का निर्धारण कर मोबाईल में केन्द्रीकृत रूप से इनस्टॉल किया जाए.

No. F 3-32/2017/E&IT/56 [Part]. — In continuation to the State Government notification Sr. F- 4 -12 /56/2017/ E&IT dated 31-08-2017 regarding Sanchar Kranti Yojana, following points are being notified :

1. Decision on return of un-distributed mobile phones :-

1.1 The undistributed 7,51,011 mobile sets from Phase-1 are not to be distributed. These mobile sets are in the custody of supplier firm, they are to be returned by mutual consent.

1.2 In accordance with the RFP Clause 12.2 (Annexure VIII), it is mandatory to purchase minimum 60 % mobile devices of the total tendered quantity. The mobile sets are to be returned to the supplier after obtaining the consent for giving relaxation on this condition.

2. Decision on network expansion :-

2.1 According to the provisions of the SKY Scheme, if any village is not covered under the network expansion by installing the required number of towers, then the penalty is to be recovered from the supplier as per the Annexure-XXI of the RFP. This penalty shall be imposed at the rate of 0.025% per thousand smartphones per week on the contractor for every tower which has not been installed.

2.2 For providing coverage to uncovered villages of Phase-I, the contractor is to install remaining towers.

2.3 The Contractor is also to install towers in remaining villages of Phase-II to provide coverage according to original contract.

2.4 For the installation of towers to be set up in the Phase-II, all the facilities as mentioned in the RFP and contract are to be provided to the Contractor.

2.5 The facilities given by the government as per the contract will not be extended to any other tower which is not in the list of previously agreed and pre-provisioned towers. In such situation, the concerned local bodies and government institutions will be free to take appropriate action as per the rules and provisions.

3 Decision regarding mobile apps :-

3.1 The Mobile App Committee constituted under the scheme is to review the utility of existing Mobile App in distributed smartphones and non-useful Apps to be uninstalled in a centralized manner.

3.2 The committee to determine the new useful mobile apps for the State and install them in a centralized manner in the mobile.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
समीर विश्नोई, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021.